बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आ दे श

विषय : मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं एवं युवतियों को सूक्ष्य एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु आदेश ज्ञापांक 12 दिनांक 02.01.2019 तथा आदेश ज्ञापांक 238 दिनांक 22.01.2019 द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

उक्त निर्धारित प्रक्रिया को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

1. आदेश ज्ञापांक 238 दिनांक 22.01.2019 की कंडिका-9 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा विमुक्त प्रथम/द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अपनी अनुशंसा संबंधित संस्थान के नोडल पदाधिकारी को भेजा जायेगा। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के अनुशंसा के आधार पर नोडल पदाधिकारी द्वारा द्वितीय किस्त/तृतीय किस्त की स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा। द्वितीय/तृतीय किस्त की विमुक्ति की स्वीकृति के पूर्व नोडल पदाधिकारी आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ उद्योग विस्तार पदाधिकारी अथवा किसी विभागीय पदाधिकारी से स्थल निरीक्षण करा सकते हैं। "

2. पूर्व निर्धारित प्रकिया की अन्य कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

3. इस आदेश का अनुपालन संबंधित विभागीय पदाधिकारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं लाभार्थियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

5. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 830 पटना, दिनांक : 28.02.19

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सीडी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500(पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 830 पटना, दिनांक : 28.02.19

प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/माननीय मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरधा एवं रेशम/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र/सभी महाप्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 830 पटना, दिनांक : 28. 02. 19

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पाटलीपुत्रा, पटना एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 830 पटना, दिनांक : 28. 02. 19

प्रतिलिपि : सभी संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों/अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 830 पटना, दिनांक : 28. 02. 19

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

11